

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 25/2018 राजस्व अपील

1. रामावतार पुत्र जैना
2. मोहन पुत्र जैना

समस्त जाति माली निवासी ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा
अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा
रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 18.09.2015

प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामावतार वगै० प्रकरण सं 371/2015

अन्तर्गत धारा 91 आर एल आर एक्ट

उपस्थिति : श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट उप०।

: श्री चन्द्रशेखर टापरिया राजकीय अधिवक्ता उप०।

—: निर्णय :—

दिनांक: 01.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मिन अपीलान्ट्स ने वाके ग्राम बहरावण्डा के भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म गै.मु. तलाई पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 18.09.2015 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 18.09.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई



अति० जिला कलक्टर है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोंडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अपीलान्ट्स का उक्त गैर मुमकिन तलाई भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम बहरावण्डा के भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन तलाई पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 18.09.2015 के द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की अपीलान्ट्स का प्रश्नगत गैर मुमकिन तलाई भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।



प्रकरण संख्या : 25/2018 राजस्व अपील

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम बहरावण्डा के भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म गै.मु. तलाई पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.09.2015 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(राजवीर सिंह चौधरी)

अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(राजवीर सिंह चौधरी)

अति० जिला कलक्टर, दौसा